

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30032022-234670  
SG-DL-E-30032022-234670असाधारण  
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213]	दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2022/चैत्र 8, 1944	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 582
No. 213]	DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2022/CHAITRA 8, 1944	[N. C. T. D. No. 582

## भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2022

सं. फा. 14(79)/एलए-२०२२/ ala-1/48-56.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक २८ मार्च, २०२२ को प्राप्त कर ली है और इसे जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“ दिल्ली विनियोग (संख्या ०२) अधिनियम, २०२२

(२०२२ का दिल्ली अधिनियम ०४)

(२६ मार्च, २०२२, को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[२९ मार्च, २०२२]

वर्ष 2021-2022 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त शीर्षक

**468,22,00,000/- का वर्ष 2021-2022 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त।**

1. इस अधिनियम का नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 2) अधिनियम 2022 है।
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए चार सौ अड़सठ करोड़ बाईस लाख रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2021-2022 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होंगी।
3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

विनियोजन

### अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(रु. हजार में)  
निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
I	II		III	IV	V
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	300	0	300
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	250	90	340
4	वित्त	राजस्व	450	0	450
5	गृह	राजस्व	200	0	200
6	शिक्षा	राजस्व	1000	0	1000
		पूँजी	850000	0	850000
7	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	राजस्व	600	720	1320
		पूँजी	100	0	100
8	समाज कल्याण	राजस्व	1550	0	1550
9	उद्योग	राजस्व	200	0	200
10	विकास	राजस्व	3822340	0	3822340
		पूँजी	300	0	300
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	1600	1100	2700
		पूँजी	1400	0	1400
	योग		4680290	1910	4682200

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव

**DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS****NOTIFICATION**

Delhi, the 29th March, 2022

**F. 14(79)/LA-2022/ ala-1/48-56.**—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 28<sup>th</sup> March, 2022 and is hereby published for general information.

**“THE DELHI APPROPRIATION (No. 2) ACT, 2022”****(DELHI ACT No. 04 OF 2022)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 26<sup>th</sup> March, 2022).

[29<sup>th</sup> March, 2022]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2021-2022.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

**Short title.**

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 2) Act, 2022.

**Issue of ₹ 468,22,00,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2021-2022.**

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of **Rupees four hundred sixty eight crore twenty two lakh only** towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2021-2022 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

**Appropriation.**

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

**SCHEDULE**

(See sections 2 and 3)

(₹ In thousand)

**SUMS NOT EXCEEDING**

<b>Demand No.</b>	<b>Services and Purposes</b>		<b>Voted by the Legislative Assembly</b>	<b>Charged on the Consolidated Fund</b>	<b>Total</b>
<b>I</b>	<b>II</b>		<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>
2	General Administration	Revenue	300	0	300
3	Administration of Justice	Revenue	250	90	340
4	Finance	Revenue	450	0	450
5	Home	Revenue	200	0	200
6	Education	Revenue	1000	0	1000
		Capital	850000	0	850000
		Revenue	600	720	1320

7	Medical and Public Health	Capital	100	0	100
8	Social Welfare	Revenue	1550	0	1550
9	Industries	Revenue	200	0	200
10	Development	Revenue	3822340	0	3822340
		Capital	300	0	300
11	Urban Development and Public Works	Revenue	1600	1100	2700
		Capital	1400	0	1400
	<b>Total</b>		<b>4680290</b>	<b>1910</b>	<b>4682200</b>

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Principal Secy.